

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 214/13

संस्थित दिनांक-18.04.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

विजयराम पुत्र राधेलाल उर्फ राधेश्याम सिरौठिया

उम्र 24 साल, निवासी वार्ड क्र० 14, मारकण्डेश्वर मंदिर

के पास गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०


.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 23.11.17 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-380, 457 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 27.02.13 समय दरम्यानी रात स्थान फरियादी का मकान रसोई वार्ड क्र० 14 मार्कण्डेश्वर मंदिर के पास में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेशकर रात्रो प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा फरियादी के मकान से एक भारत कंपनी का गैस सिलैण्डर, पाईन प्लास्टिक का, एक रेग्यूलैटर सामान कीमती 2500 रुपये बेईमानी पूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी वासुदेव प्रसाद द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र गैस सिलैण्डर चोरी हो जाने बावत् थाना प्रभारी गोहद के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दिनांक 27.02.2013 की रात को उसके रसोई घर में गैस सिलैण्डर भारत कंपनी का रेग्यूलैटर व लेजम लगी हुई थी। जब वह सुबह सोकर जागा और पत्नी चाय बनाने रसोई घर गयी तो गैस सिलैण्डर नहीं मिला, अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। आज तक पता किया तो कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसका गैस सिलैण्डर उसके पड़ौसी अभियुक्त विजयराम पुत्र राधेलाल सिरौठिया चोरी कर ले गया है। उक्त आशय का लिखित आवेदन दिनांक 02.03.2013 का लेखकर थाना गोहद में अप०क्र०-42/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार किया उसका मेमोरेण्डम धारा 27 का लिया गया, सिलैण्डर जब्त किया गया, शिनाख्त कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।





3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दि० 27.02.13 समय दरम्यानी रात स्थान फरियादी का मकान रसोई वार्ड क्र० 14 मार्कण्डेश्वर मंदिर के पास में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेशकर रात्रि प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के मकान से एक भारत कंपनी का गैस सिलैण्डर, पाईन प्लास्टिक का, एक रेग्यूलैटर सामान कीमती 2500 रुपये बेईमानी पूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

#### --:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में वासुदेव प्रसाद अ०सा० 1, गोविंद गुप्ता अ०सा० 2, राकेश गुप्ता अ०सा० 3, विनोद अ०सा० 4, मुन्ना अ०सा० 5, अनिल शर्मा अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में उत्पन्न पुनरावृत्तियों के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. फरियादी वासुदेव प्रसाद अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 27.02.13 की बताते हुए यह कथन करते हैं कि वे अपने घर में सो रहे थे जब सुबह उठे और पत्नी से चाय बनाने को कहा तो पत्नी चाय बनाने रसोई में गयी तो रसोई में गैस सिलैण्डर, रेग्यूलैटर व लेजम नहीं थी। रसोई से उक्त सामान चोरी हो गया था बाद में पता चला कि मौहल्ले का पड़ोसी अभियुक्त सिलैण्डर चोरी कर ले गया था। उसने उक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदन थाना गोहद में दिया था जो प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। रिपोर्ट प्र०पी० 2 पुलिस द्वारा लेख किए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। घटना का नक्शा मौका प्र०पी० 3 पुलिस द्वारा घर आकर बनाए जाने का कथन करते हुए उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् अपने कथन में दिनांक 02.03.2013 को अभियुक्त के कब्जे से सिलैण्डर मय रेग्यूलैटर व लेजम जब्त किए जाने का कथन करते हैं।

7. प्रकरण में घटना के अन्य साक्षी गोविंद गुप्ता अ०सा० 2 हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 27.02.2013 की रात्रि में गैस सिलैण्डर चोरी हो जाने के संबंध में कथन करते हैं। यह साक्षी एक नया तथ्य प्रकट करता है कि अभियुक्त विजयराम ने उनसे हजार रुपये की मांग की थी और कहा


22/11/13



था कि हजार रुपये दे दो सिलैण्डर मिल जाएगा। साथ ही यह भी कथन करता है कि मौहल्ले के दो लोगों ने बताया था कि सिलैण्डर विजयराम चुरा ले गया था। अन्य साक्षी राकेश गुप्ता अ०सा० 3 भी दिनांक 27.02.13 को उनकी रसोई में लगा भारत कंपनी का सिलैण्डर व इण्डेन कंपनी का रेग्युलेटर चोरी हो जाने का कथन करते हुए दिनांक 02.03.13 को उनके पिता द्वारा रिपोर्ट किए जाने का कथन करते हैं। यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में मौहल्ले के रिकू गुप्ता द्वारा उनके पिता को अभियुक्त विजयराम द्वारा उनके घर से सिलैण्डर चोरी किए जाने की बात बताए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में साक्षी वासुदेव अ०सा० 1, गोविंद अ०सा० 2 तथा राकेश अ०सा० 3 एक ही परिवार के हैं। अभिकथित रूप से किसी रिकू गुप्ता नाम के व्यक्ति का कोई साक्ष्य नहीं कराया गया है।

8. प्रकरण में फरियादी वासुदेव प्रसाद अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त को अपने घर में चोरी करते हुए नहीं देखा, बल्कि मौहल्ले वालों द्वारा बताए जाने पर अभियुक्त का नाम लिया जाना साक्षी बताता है। तत्पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में मौहल्ले वालों द्वारा बताए जाने की बात से भिन्न एक नई बात बताता है कि अभियुक्त ने उससे कहा था कि सिलैण्डर लेना हो तो एक हजार रुपये दे दो तुम्हारा सिलैण्डर मिल जाएगा। साक्षी गोविंद अ०सा० 2 भी अभियुक्त द्वारा एक हजार रुपये की मांग किए जाने से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के बारे में बताता है किन्तु वासुदेव अ०सा० 1 व गोविंद अ०सा० 2 दोनों ही साक्षी यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त द्वारा एक हजार रुपये मांगने वाली बात पुलिस को नहीं बताई और न्यायालय में पहली बार बता रहे हैं। ऐसे में दोनों साक्षियों के द्वारा किए गए कथन में अभियोजन दस्तावेज के मध्य सारवान लोप विद्यमान हैं।

9. प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वीकार करते हैं कि सिलैण्डर एक जैसे होते हैं किन्तु यह साक्षी स्वीकार किए जाने के अतिरिक्त स्वतः कथन करता है कि "जब सिलैण्डर लेने गया तो गैस एजेंसी पर लाईन लगी थी, उन्होंने अपने सिलैण्डर पर निशान लगाने को कहा तो मैंने अपने सिलैण्डर पर 'बी' अक्षर लिख दिया।" इस प्रकार से यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में सिलैण्डर की पहचान के संबंध में एक नया तथ्य उक्त सिलैण्डर पर "बी" अक्षर लेख किए जाने के संबंध में कथन करता है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की इसी कण्डिका में स्वीकार करता है कि उसने प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में सिलैण्डर पर बी अक्षर लेख किए जाने की बात नहीं लिखाई और उक्त बात न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पहली बार बता रहे हैं। साक्षी का ध्यान उसके पुलिस कथन की ओर भी दिलाया गया जिसमें स्वीकार करता है कि कथन में भी सिलैण्डर पर 'बी' अक्षर लिखे होने का उल्लेख नहीं है। गोविंद गुप्ता अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में कथित सिलैण्डर पर कोई विशिष्ट पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं करता किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में

  
23/1/13



सिलैण्डर पर 'बी' अक्षर लिखा होने का कथन करता है जिसका कारण बताता है कि उसके बाबा अर्थात् फरियादी वासुदेव का नाम 'बी' अक्षर से है। किन्तु दोनों साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त विजयराम का नाम भी 'बी' अक्षर से शुरू होता है।

10. प्रकरण में अभियुक्त को चोरी करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया हो ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है। फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 दिनांक 02.03.13 को पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर से उसके बताने पर सिलैण्डर मय रेग्युलेटर व लेजम के जब्त किए जाने का कथन करते हैं। साक्षी वासुदेव जब्ती कार्यवाही का साक्षी नहीं हैं फिर भी दिनांक 02.03.13 को अभियुक्त के घर से जब्ती का कथन करता है। जब्तीकर्ता एन०सी० यादव अ०सा० 7 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने प्रकरण में अनुसंधान किया है जिसके क्रम में दिनांक 03.03.13 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक प्र०पी० 5 बनाया था। तत्पश्चात् अभियुक्त से धारा 27 साक्ष्य विधान का झापन लिया जिसमें अभियुक्त ने फरियादी के घर से चोरी हुआ सिलैण्डर, रेग्युलेटर अपने घर के कमरे में छिपा देने की जानकारी का तथ्य प्रकट किया था। उक्त जानकारी के आधार पर उसी दिनांक 03.03.13 को अभियुक्त के घर से सिलैण्डर जिस पर काले रंग से 'बी' लिखा था, मय रेग्युलेटर जब्त किया गया था, जब्ती पत्रक प्र०पी० 7 बनाए जाने जिस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में जब्ती शाम 6:50 बजे करने का कथन करते हैं।

11. जब्ती साक्षी मुन्ना अ०सा० 5 प्रकरण में अभियुक्त की दिनांक 03.03.13 को गिरफ्तारी, पूछताछ करने पर पता चले तथ्य के आधार पर उसके घर के कमरे से एक सिलैण्डर मय रेग्युलेटर जब्त किए जाने का कथन करते हुए जब्ती पंचनामा प्र०पी० 7 बनाए जाने का कथन करते हैं जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। अन्य जब्ती साक्षी आरक्षक अनिल शर्मा हैं जो कि दिनांक 03.03.13 को अभियुक्त के कब्जे से एक सिलैण्डर मय रेग्युलेटर जब्त किए जाने का कथन करते हैं। जब्ती पत्रक प्र०पी० 7 पर साक्षी बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। एन०सी० यादव अ०सा० 7 गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 5 के अनुसार अभियुक्त को बस स्टैण्ड गोहद से गिरफ्तार किया जाना, तत्पश्चात् प्र०पी० 6 के मेमोरेण्डम के अनुसार थाना गोहद में अभियुक्त का मेमोरेण्डम लिए जाने, तत्पश्चात् अभियुक्त के मकान स्थित वार्ड नं० 14 से जब्ती पत्रक प्र०पी० 7 के अनुसार जब्ती किए जाने का तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। किन्तु थाने पर अभिकथित कार्यवाही मेमोरेण्डम प्र०पी० 6 पर कोई रोजनामचा सान्हा क्रमांक उल्लेखित नहीं हैं, न ही प्र०पी० 7 के अनुसार जब्ती कार्यवाही किए जाने के लिए कोई रवानगी और वापिस थाने पर मय सिलैण्डर व रेग्युलेटर आने की कोई वापसी रोजनामचा का क्रमांक प्र०पी० 7 पर उल्लेखित नहीं किया है और न ही प्रस्तुत किया है।

23.11.17



12. प्रकरण में एन०सी० यादव अ०सा० 7 जो अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि वे अभियुक्त के घर के अंदर नहीं गए थे और स्वतः कथन करते हैं कि अभियुक्त ने कमरे से निकालकर गेट पर संपत्ति अर्थात् सिलैण्डर व रेग्युलेटर प्रस्तुत किया जाना बताते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की इसी कण्डिका में कथन करते हैं कि अभियुक्त का मकान केवल एक कमरे का है जिसमें अभियुक्त निवास करता है और खाना बनाता है। इस संबंध में जब्ती साक्षी मुन्ना अ०सा० 5 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि अभियुक्त का मकान शायद दो मंजिल का बना हुआ है, यह भी बताने में अस्मर्थ हैं कि नगर पालिका मार्कण्डेश्वर मंदिर के बीचोंबीच किस गली में हैं और उसके सामने किसका मकान हैं। अनिल शर्मा अ०सा० 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि अभियुक्त का मकान एक मंजिल का है जिसमें 3-4 कमरे होंगे। इस प्रकार से जब्तीकर्ता अधिकारी एवं जब्ती साक्षियों के द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किया है। यह उल्लेखित किया जाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभियुक्त के घर के आसपास अन्य व्यक्तियों के मकान होने बताए गए हैं किन्तु किसी भी जब्ती स्थल के आसपास के निवासी के जब्ती पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 जो अभियुक्त के घर से दिनांक 02.03.13 को अभिकथित रूप से पुलिस द्वारा जब्ती करना बताता है, उसका कथन अनुसंधानकर्ता के द्वारा अभिकथित दिनांक 03.03.13 की जब्ती के तथ्य के विरोधाभासी है।

13. प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 एवं अन्य अभियोजन साक्षी के द्वारा अभियुक्त से उनकी रंजिश होना स्वीकार की गयी है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त का मकान फरियादी के मकान के बगल में हैं अर्थात् फरियादी व अभियुक्त पड़ोसी हैं। वासुदेव अ०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में उक्त पड़ोसी होने का तथ्य स्वीकार करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में स्वीकार करते हैं कि उसके पुत्र राजेश उर्फ राजू की रिपोर्ट से अभियुक्त व उसके पिता के विरुद्ध मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें वे बरी (दोषमुक्त) हुए थे। इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है कि अभियुक्त के पिता एवं सीताराम दुबे नाम के व्यक्ति के मध्य कोई मकान संबंधी विवाद चला था या नहीं, किन्तु यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी बहू नीलम के नाम से सीताराम दुबे से उक्त विवादित मकान खरीदा था। इस संबंध में भी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं कि उक्त मकान के संबंध में अपील मान० उच्च न्यायालय में लंबित है। गोविंद गुप्ता अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में उसके चाचा राजू उर्फ राजेश की रिपोर्ट से अभियुक्त व उसके पिता पर मारपीट का मुकदमा चलना और दोषमुक्ति स्वीकार करता है। यह भी स्वीकार करता है कि सीताराम दुबे से अभियुक्त के पिता का मकान का विवाद चला था जिस मकान को सीताराम दुबे ने उसकी माँ नीलम के हक में विक्रय किया। स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसकी तथा उसके परिवार की अभियुक्त तथा उसके परिवार से रंजिश बनी हुई है। राकेश गुप्ता अ०सा० 3 भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से फरियादी एवं



अभियुक्त के मध्य रजिश्त का तथ्य प्रमाणित है। ऐसी दशा में अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव सारवान व महत्वपूर्ण हो जाता है, इस कारण से अभियोजन की साक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषण की आवश्यकता है।

14. प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 स्वीकार करते हैं कि उन्होंने चोरी करते हुए अभियुक्त को नहीं देखा। साक्षी मौहल्ले वालों द्वारा अभियुक्त का नाम बताए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में अभिकथित किस मौहल्ले के व्यक्ति ने अभियुक्त को चोरी करते हुए देखा, इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य नहीं हैं और न ही कथित साक्षी को प्रस्तुत किया गया। साक्षी प्रपी० 1 का लिखित आवेदन थाना गोहद में दिनांक 27.02.13 को दिया जाना बताते हैं, जबकि प्र०पी० 1 के आवेदन पर दिनांक 02.03.13 अंकित है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में प्रपी० 1 के आवेदन के संबंध में कथन करता है कि उसे ठीक से याद नहीं हैं। साक्षी कण्डिका 4 में स्वीकार करता है कि उसने पांच दिन तक सिलैण्डर की कोई खोज नहीं की। साक्षी का कथन अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु गुम होने पर निश्चित रूप से वह उसे ढूँढने का प्रयास करता है। प्रकरण में रिपोर्ट प्र०पी० 1 अभिकथित घटना से विलंब के उपरांत दिनांक 02.03.13 को प्रस्तुत किया जाना दर्शित की गयी है। उक्त रिपोर्ट प्र०पी० 1 में दिनांक 02.03.13 अंकित है। इस कारण से विलंब का उचित स्पष्टीकरण संपत्ति को खोजने का हो सकता था, जिससे स्वयं फरियादी द्वारा इंकार किया गया है। ऐसे में विलंब का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं हैं।

15. प्रकरण में वासुदेव अ०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि अभियुक्त ने उससे कहा था कि सिलैण्डर लेना हो तो एक हजार रुपये दे दो तुम्हारा सिलैण्डर मिल जाएगा। साक्षी स्वीकार करते हैं कि उक्त बात आवेदन पत्र में लेख नहीं हैं, न ही कथन में भी उक्त एक हजार रुपये अभियुक्त द्वारा मांगने की बात उल्लेखित है। गोविंद गुप्ता अ०सा० 2 मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि अभियुक्त ने उनसे हजार रुपये की मांग की और कहा कि हजार रुपये दे दो, सिलैण्डर मिल जाएगा। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि दिनांक 28.02.13 को अभियुक्त ने उससे उक्त बात कही थी। किन्तु प्र०डी० 1 के कथन में लेख नहीं हैं। साक्षी वासुदेव अ०सा० 1 एवं गोविंद गुप्ता अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त द्वारा एक हजार रुपये की मांग वाली बात न्यायालय में पहली बार बता रहे हैं। राकेश गुप्ता अ०सा० 3 जो मौहल्ले के रिकू गुप्ता द्वारा अभियुक्त के उसके घर से सिलैण्डर चोरी कर लेने की बात पता चलने का कथन करते हैं और उक्त बात अपने पिता को बताने का कथन करते हैं। उनके पुलिस कथन प्र०डी० 2 में उक्त रिकू गुप्ता द्वारा अभियुक्त के अपराध में संलिप्त होने का कोई भी तथ्य लेख नहीं हैं। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वासुदेव अ०सा० 1, राकेश अ०सा० 3 तथा गोविंद अ०सा० 2 तीनों पिता पुत्र होकर परिवार के हैं। यदि गोविंद अ०सा० 2 के कथन के अनुसार उसे दि० 28.02.13

23-11-13



को अभियुक्त द्वारा एक हजार रुपये की मांग का पता चल गया तो फिर दिनांक 02.03.13 को प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस संबंध में क्यों लेख नहीं कराया गया। साथ ही प्र०पी० 1 के पुलिस कथन में भी इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया, यह महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है।

16. प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि उनके सिलैण्डर पर "बी" लेख था किन्तु स्वीकार करते हैं कि रिपोर्ट प्र०पी० 1 में उन्होंने नहीं लिखाया कि उक्त सिलैण्डर पर "बी" अक्षर लेख था। प्रकरण में साक्षी यह बताता है कि उसने उक्त सिलैण्डर चोरी से लगभग दो माह पहले लिया था तब उस पर बी अक्षर लिखा था। कण्डिका 5 में यह भी स्पष्ट करता है कि सिलैण्डर पर बी अक्षर घर पर नहीं लिखा, बल्कि जब एजेंसी पर लाईन में लगा था तब लिखा था। प्रकरण में यह स्वीकार करता है कि सिलैण्डर प्राप्त करने की कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की है। यहां उल्लेखनीय है कि जब गैस एजेंसी से सिलैण्डर प्राप्त होता है तो उसकी रसीद अथवा सुसंगत प्रविष्टि गैस बुक पर अंकित की जाती है, किन्तु प्रकरण में ऐसी कोई रसीद व गैस पासबुक प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें फरियादी के अभिकथित दो माह पहले सिलैण्डर प्राप्त करने के तथ्य की पुष्टि होती हो। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी कण्डिका 5 में गैस एजेंसी पर लाईन में अपने सिलैण्डर पर "बी" अक्षर लिखने के संबंध में कथन करते हैं। जब इस संबंध में गैस सिलैण्डर प्राप्त किया जाता है तो उस पर पहले से कोई व्यक्ति अपना चिन्ह अंकित कर देता हो, यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। खाली सिलैण्डर कोई उठा न ले तो लाईन में व्यक्ति उस पर अपना चिन्ह अंकित कर दे, यह स्वाभाविक हो सकता है।

17. प्रकरण में अभियोजन की किसी भी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि उसने अभियुक्त को फरियादी के घर में प्रवेश करते, निकलते अथवा चोरी करते या चोरी का सामान ले जाते हुए देखा हो। जहां तक यदि तर्क के लिए गैस सिलैण्डर व रेग्युलेटर के पुलिस द्वारा कहीं से जब्त कर लिए जाने का तर्क मान भी लिया जाए तो उक्त सिलैण्डर की शिनाख्त कार्यवाही महत्वपूर्ण हो जाती है। फरियादी वासुदेव प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में कथन करता है कि सिलैण्डर की पहचान कार्यवाही थाने में की थी, प्र०पी० 4 की शिनाख्त कार्यवाही दस्तावेज लिखे जाने के समय थाने पर पुलिस वाले मौजूद थे। थाने पर जब पुलिस ने शिनाख्त कराई उस समय अभियुक्त से जब्तशुदा सिलैण्डर थाने पर अकेला रखा था और कोई सिलैण्डर नहीं था। साक्षी कण्डिका 6 में ही कथन करता है कि रिपोर्ट के 10-12 दिन बाद नगरपालिका में नहीं गया, न ही उसका कथित सिलैण्डर नगरपालिका गोहद में रखा गया। यह भी स्वीकार करता है कि नगरपालिका गोहद में न तो अपना सिलैण्डर और न किसी अन्य का सिलैण्डर देखा, स्वतः कथन करता है कि थाने में देखा था। प्र०पी० 4 का अभिकथित निष्पादन कर्ता विनोद यादव अ०सा० 4 के रूप में प्रस्तुत किया गया जो कथन करते हैं कि उसके पास पुलिस वाले आए और शिनाख्त संबंधी हस्ताक्षर व सील लगवाए थे, प्र०पी० 4 पर बी से बी भाग

23/1/17




पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। साक्षी दिनांक 14.03.13 को डेढ बजे नगरपालिका गोहद में सिलैण्डरों की शिनाख्त किए जाने के संबंध में पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में अभियोजन के सुझावों से इंकार करते हैं। साक्षी प्र०पी० 4 के शिनाख्त कार्यवाही को पूर्णतः संदिग्ध बना देते हैं। फरियादी वासुदेव अ०सा० 1 द्वारा भी शिनाख्त कार्यवाही प्र०पी० 4 का थाने पर पुलिस वालों के समक्ष मात्र उसका अभिकथित सिलैण्डर दिखाकर थाने में ही शिनाख्त कार्यवाही का कथन करके अभियोजन के मामले को और अधिक संदिग्ध कर देते हैं।

18. राधेश्याम ब०सा० 1, जो अभियुक्त का पिता है, अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि फरियादी वासुदेव का मकान उसके पास में है। फरियादी से उसका सिविल मामला चलता था जो वर्तमान में मान० उच्च न्यायालय में चल रहा है। इससे पहले भी फरियादी ने उस पर मुकदमा लगाया था जिसमें वह दोषमुक्त किया गया। दूसरा मामला उसके पुत्र पर चोरी का लगा दिया जिसमें पुलिस ने लडके को पकड़ लिया और घर में रखा गैस सिलैण्डर खाना बनाते समय ले गयी। उक्त सिलैण्डर को वे अपना बताते हैं। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अपने पिता को बचाव में प्रस्तुत किया है, जो फरियादी से रंजिश का तथ्य प्रमाणित किए जाने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उक्त सिलैण्डर को उसके घर से उसकी अनुपस्थिति में पुलिस द्वारा जब्त कर लेने के संबंध में कथन करते हैं। यद्यपि कथित सिलैण्डर के स्वामित्व के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त ने भी अपने परीक्षण धारा 313 में प्रश्न क्रमांक 14 व अतिरिक्त अभियुक्त परीक्षण के प्रश्न क्र० 5 में सिलैण्डर मय रेग्युलेटर जब्त किए जाने के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर एक बार पता न होने और दूसरी बार इंकार किया है। किन्तु अभियुक्त द्वारा उसके आधिपत्य के सिलैण्डर का प्रमाण प्रस्तुत न करना अभियोजन के मामले को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं हो जाता है, जबकि गंभीर संदेहपूर्ण परिस्थिति मौजूद है।

19. प्रकरण में इस प्रकार से परस्पर हितबद्ध साक्षियों की विरोधाभासी साक्ष्य, अभियोजन दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में साक्षियों के द्वारा उत्पन्न संदेह, फरियादी द्वारा विलंब से अयुक्तियुक्त कारण बताकर प्रस्तुत आवेदन प्र०पी० 1, अभियुक्त व उसके पिता से फरियादी का पारिवारिक रंजिश होना, साक्षियों द्वारा अभियुक्त को संलिप्त करने के बड़ चढ़कर आधार बनाकर कथन करना, उनके पुलिस कथन व अभियोजन दस्तावेजों के संबंध में गंभीर लोप व विरोधाभास मौजूद होना अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देते हैं।

20. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व

  
28/11/13



अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

21. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 27.02.13 समय दरम्यानी रात स्थान फरियादी का मकान रसोई वार्ड क० 14 मार्कण्डेश्वर मंदिर के पास में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेशकर रात्रो प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा फरियादी के मकान से एक भारत कंपनी का गैस सिलैण्डर, पाईन प्लास्टिक का, एक रेग्युलेटर सामान कीमती 2500 रुपये बेईमानी पूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अभियुक्त के जेल वारंट पर नोट लगाया जावे कि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है। यदि अन्य प्रकरण में न चाहा गया हो तो उसे अविलंब छोड़ा जावे।

23. प्रकरण में जब्तशुदा सिलैण्डर व रेग्युलेटर के संबंध में आवेदक रामजीदास पुत्र श्रीलाल निवासी किला रोड वार्ड नं० 13 गोहद जिला मिण्ड द्वारा सुपुर्दगी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.13 को साक्ष्य उपरांत गुणदोष के आधार पर निराकरण योग्य होने व अभियुक्त की आपत्ति के कारण दिनांक 18.03.13 को निरस्त किया गया। अभियुक्त के द्वारा उक्त सिलैण्डर के अनुज्ञप्तिधारी होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किए हैं ऐसी दशा में आवेदक रामजीदास द्वारा तीन माह में अपने अनुज्ञप्ति व स्वामित्व संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने


  
22/3/13




पर जब्तशुदा सिलैण्डर मय रेग्यूलेटर लौटाया जाए। उक्त अवधि में प्रमाण प्रस्तुत न करने की दशा में अवधि उपरांत विधि अनुसार संपत्ति का निराकरण हेतु कलेक्टर जिला भिण्ड को भेजा जाए।

24. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

  
ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

  
ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश